न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 121/2018

निर्णय दिनांकः– 22.03.2021

उनवान

1. चतुर्भुज पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. राप्रसाद पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3. केसरा पुत्र बीरमा जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
4. भजन पुत्र कालू जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
5. रामकरण पुत्र बीरमा जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र रंगा जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
2. भैरू पुत्र रंगा जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
3. गोपी पुत्र गेन्दीलाल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
4. केदार पुत्र रामफूल जाति मीणा निवासी कुण्डिया तहसील उनियारा जिला टोंक
5. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
6. उप– पंजीयक उनियारा जिला टोंक।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री सेतराम चौधरी वकील वादीगण

श्री बरकत्तुला खां वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजीयात ख0न0 77/7 रकबा 15 बीघा ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। जिसके हाल ख0न0 140 रकबा 0.50, ख0न0 143 रकबा 0.50, ख0न0 144 रकबा 0.50, ख0न0 146 रकबा 0.50, ख0न0 149, 154 व अन्य ख0न0 बनाये गये है। साबिक ख0न0 77/7 रकबा 15 बीघा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 मे रंगा पुत्र रामचन्द्रा तथा बीरमा पुत्र लालू मीणा के नाम अंकित की हुइ है। यदि भूमि पहले तन्हा बीरमा के पिता लालू मीणा की थी, जिसने इस भमि को बनाई तथा बसाई थी। लालू मीणा ही इस भूमि का एक मात्र खातेदार तथा काबिज काश्कतकार था, रंगा पुत्र रामचन्द्रा का इस भूमि से कोई लेना देना नही था, परन्तु उसका नाम उक्त जमबंदी मे अवेध रूप से अंकित किया गया है।

यह कि लालू के देहान्त के बाद उक्त भूमि रंगा पुत्र रामचन्द्रा हिस्सा 1/2 तथा बीरमा पुत्र लाललू मीणा हिस्सा 1/2 अंकित कर दी गई थी, जिसमें रंगा पुत्र रामचन्द्रा का अंकन प्रारम्भतः ही गलत था, क्योंकि वह लालू का उत्तराधिकारी या वारिस नही था, बल्कि लालू का एक मात्र पुत्र बीरमा था, इस कारण बीरमा पुत्र लालू मीणा ही सम्पूर्ण भूमि का एक मात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार हुआ । रंगा पुत्र रामचन्द्रा का इस भूमि से कोई सम्बंध नही रहा तथा उसका कभी कब्जा काश्त नही रहा और न ही वह कभी खातेदार काश्तकार रहा।

यह कि रंगा पुत्र रामचन्द्रा के देहान्त के बाद सुरजमल व भेरू हुए । सेटलमेंट के दौरान बिना किसी अधिकार व बिना किसी कब्जे के इस भूमि को सूरजमल प्रतिवादी नम्बर 1 तथा गोपी प्रतिवादी न0 3

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

जो कि गेन्दीलाल का पुत्र है के नाम गोपी पुत्र रंगा अंकित करते हुए अवेध रूप से खातेदारी का अंकन कर दिया गया तथा बीरमा के देहान्त के बाद गंगाधर, केसरा, रामफूल, रामकरण, कालू पित्रान बीरमा मीणा के नाम अंकन किया गया। प्रतिवादी न0 3 रंगा का पुत्र नही है। बल्कि वह गेन्दीलाल का पुत्र है।

यह कि वाद्रग्रस्त भूमि तन्हा पहले लालू की होने से उसके देहान्त के बाद उसके एक उसके एक मात्र पुत्र बीरमा के हक में सम्पूर्ण भूमि की खतेदारी अंकित की जाना चाहिऐ था तथा बीरमा के मरने के बाद उसके सभी पांचों पुत्रों जिसमें गंगाधर, केसरा, कालू रामफुल, राकरण, पिसरान बीरमा मीणा की खातेदारी में अंकित होनी चाहिए थी, इस भूमि के तनहा खातेदार व काश्तकार बरमा के पांचों पुत्र है, तथा कब्जा काश्त भी इन्ही का चला आ रहा है, सेटलमेंट द्वारा या राजस्व कर्मचारियें द्वारा पहले रंगा पुत्र रामचन्द्रा के नाम व उसके देहान्त के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 के नाम की गई प्रतिष्टि/परिवर्तन प्रथम दृष्टया ही अवेध तथा शुन्य है। एवं वादीगण के हितों के प्रतिकूल हैं, इस प्रकार के अवेध अंकन व परिवर्तन से रंगा पुत्र रामचन्द्रा का व उसके मरने के बादी प्रतिवादी न0 1 व 3 को कोई विधिक अधिकार या टिनेन्सी राईट्स प्राप्त नही होते है।

यह कि प्रतिवादी न0 4 के पिता रामफूल पुत्र बीरमा ने दिनांक 17.06.1987 को उक्त वर्णित भूमि मे से अपना 1/5 हिस्सा वादी नम्बर 1 व 2 को रूबरू गवाहन नगद 12000/– रूपयें की राशि की ऐवज मे बैचान कर कब्जा दे दिया था तथा एक लिखावट रूबरू गवाहान तैयार करवाकर उकस पर अपना अंगूठा लगाकर वादी संख्या 1 व 2 को दे दिया था तब से ही उसके हिस्से पर वादी संख्या 1 व 2 काबिज हैं तथा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी न0 4 के पिता का उसके बाद से तथा प्रतिवादी न0 4 का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा था।

यह कि वर्तमान में वाद्रस्त भूमि में प्रतिवादी न0 1 व 3 तथा 4 का नाम अवेध रूप से अंकन होने अब बिना किसी अधिकार के उन लोगो की नियत मे बेयमानी आ गई है तााि वह वादीगण से नाजायत रूप से झगडा करने लग गये है और वह लोग शीघ्रता से वादीगण के कब्जे, काश्त मे हस्तक्षेप करने, जबरन कब्जा करने व भूमियें को अन्य के हक मे बिना किसी अधिकार के रहन, दान, बैंचान करने पर आमादा है, जिनको हमेशा एवं न्याय संगत है अन्यथा वादीगण को अपार हानि होगी। दोनो मे अनावश्यक लडाई झगडे होंगें। वादीगण को कई प्रकार के मुकदमों मे उलझना पडेगा।

यह की वादीगण की अधियाचना हैं कि यह घोषणा की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 140 रकबा 0.50, ख0न0 143 रकबा 0.50, ख0न0 144 रकबा 0.50, ख0न0 146 रकबा 0.50, ख0न0 154 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा में वादीगण को रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार घोषित किया जावे, वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी नम्बर 1,3 व 4 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी न01,3 व 4 को पाबन्द किया जावे किवे वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार भूमि ख0न0 149 रकबा 1.29 है व उसमे बना चाह, ख0न0 149/258 रकबा 0.13 है, कुल किता 2 करल रकबा 1.42 है0 वाके ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा प्रतिवादी कन्हैया लाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील उनियारा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जो कन्हैयालाल पुत्र गोपीलाल मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील उनियारा की खातेदारी व कब्जे काश्त मे रहेगी, इसमें वादीगण चतुर्भुज, राप्रसाद पि0 गंगाधर केसरा पुत्र बीरमा, भजन पुत्र कालू, रामकरण पुत्र बीरमा सभी जाति मीणा निवासीयान कुण्डिया तहसील उनियारा एवं गुलाबचन्द, रामसिह पिता सूरजमल, गोपी पत्रु रंगा उर्फ गेन्दीलाल को कोई एतराज नही हैं।

यह कि राजीनामा अनुसार ख0न0 140 रकबा 0.50, ख0न0 143 रकबा 0.50, ख0न0 144 रकबा 0.50, ख0न0 146 रकबा 0.50, ख0न0 154 रकबा 0.50 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा वादीगण चतुर्भुज, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर, केसरा पुत्र बीरमा, भजन पुत्र कालू, रामकरण पुत्र बीरमा जातियान मीणान निवासीयान कुण्डिया तहसील उनियारा की खातेदारी व कब्जे काश्त

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

मे रहेगी, इसमें प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है तथा अन्य खातेदारान गुलाबचन्द, रामसिंह पुत्र सूरजमल, गोपी पुत्र रंगा उर्फ गेंदीलाल को भी कोई एतराज नही है।

यह कि राजीनामा अनुसार अब भूमि ख0न0 140 रकबा 0.50 है0 वादी न0 5 रामकरण पुत्र बीरमा के नाम, ख0न0 143 रकबा 0.50 है0 वादी न0 1 व 2 चतुर्भुज पुत्र गंगाधर, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर के नाम, ख0न0 144 रकबा 0.50 है0 वादी न0 4 भजन पुत्र कालू के नाम, ख0न0 146 रकबा 0.50 है0 चतुर्भुज पुत्र गंगाधर, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर के नाम, ख0न0 154 रकबा 0.50 है0 केसरा पुत्र बीरमा के नाम रहेगी। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड मे गोपी पुत्र रंगा, रामफुल पुत्र बीरमा, सूरजमल पुत्र रंगा का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया जावे। उक्त में पक्षकार रामफूल पुत्र बीरमा की मृत्यु हो चुकी है और उसका एकमात्र वारिस केदार है और इसी प्रकार से सूरजमल पुत्र रंगा की भी मृत्यु हो चुकी है, इसके वारिस गुलाबसिंह व रामसिंह हैं । रामफुल व सूरजमल के वारिस भी इस राजीनामा से पूर्ण सहमत होकर अपनी इच्छा से राजीनामा पेश किया है।

पत्रावली में वादीगण के ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे लिखित बहस एवं RBJ 1998 (5) पेज न0 615 पेश किये है, सीपीसी 1908 के आदेश 12 नियम 6 के तहत भी समझोते व स्वीकृति के आधार पर पर न्यायालय को निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त है।

लिखित बहस में कथन किया कि सभी पक्षों ने सामुहिक रूप से मिलकर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है, जिसके अनुसार ख0न0 146 जो वर्तमान मे सम्पूर्ण एन0एच0 में अवाप्त हो गया है, वह वादी संख्या 1 व 2 के रहेगा। अर्थात एन0एच0 से प्राप्त होने वाली राशि संख्या 1 व 2 प्राप्त करेंगें तथा ख0न0 154 भी सम्पूर्ण एन0एच0 मे अवाप्त हो गया है, जिसकी मुआवजा राशि प्रतिवादी संख्या 3 प्राप्त करेगा तथा ख0न0 144 मे से 0.2714 है0 एन0एच0 मे अवाप्त हो गया हैं जिसकी मुआवजा राशि भजन पुत्र कालू प्राप्त करेगा तथा अवाप्ति से शेष रहा रकबा 0.2286 है0 प्रतिवादी संख्या भजन पुत्र कालू की खातेदारी मे रहेगी तथा ख0न0 140 प्रतिवादी संख्या 5 रामकरण पुत्र बीरमा की खातेदारी मे रहेगी तथा ख0न0 143 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चतुर्भुज उर्फ चतरू व रामप्रसाद की खातेदारी मे रहेगी। जो रकबा एन0एच0 मे अवाप्त हो गया है, उसके सम्बंध मे पक्षकार माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष नही मांग रहे है तथा मुआवजे के विवरण के संबंध मे सभी ने प्रधान सिविल न्यायालय मे रेफरेन्स कर दिया हैं। आवाप्ति से शेष रहा रकबा पक्षकार वादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के नाम लगाने को सहमत है तथा इस आशय का सभी ने राजीनामा प्रस्तुत रक दिया है तथा राजीनामें मे आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, इसमे कोई कानूनी बाधा नही है तथा आराजी ख0न0 140 रकबा 0.50 है0 वादी न0 5 रामकरण पुत्र बीरमा के नाम, ख0न0 143 रकबा 0.50 है0 वादी न0 1 व 2 चतुर्भुज पुत्र गंगाधर, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर के नाम, ख0न0 144 रकबा 0.50 है0 मे से अवाप्ति मे से शेष रहा रकबा 0.2286 है0 वादी न0 4 भजन पुत्र कालू के नाम वाके ग्राम नजीरपुरा मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तहसीलदार उनियारा को इसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेशित किया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2073 वाके ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 140 रकबा 0.50, ख0न0 143 रकबा 0.50, ख0न0 144 रकबा 0.50, ख0न0 146 रकबा 0.50, ख0न0 154 रकबा 0.50 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.50 है0 केसरा पुत्र बिरमा, कालू पुत्र बिरमा, गंगाधर पुत्र बिरमा, गोपी पुत्र रंगा, राकमरण पुत्र बिरमा, रामफुल पुत्र बिरमा, सूरजमल पुत्र रंगा के नाम दर्ज रिकार्ड है।

लिखित बहस में कथन किया कि सभी पक्षों ने सामुहिक रूप से मिलकर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है, जिसके अनुसार ख0न0 146 जो वर्तमान मे सम्पूर्ण एन0एच0 में अवाप्त हो गया है, वह वादी संख्या 1 व 2 के रहेगा। अर्थात एन0एच0 से प्राप्त होन वाली राशि संख्या 1 व 2 प्राप्त करेंगें तथा ख0न0 154 भी सम्पूर्ण एन0एच0 मे अवाप्त हो गया है, जिसकी मुआवजा राशि प्रतिवादी संख्या 3 प्राप्त करेगा तथा ख0न0 144 मे से 0.2714 है0 एन0एच0 मे अवाप्त हो गया हैं जिसकी मुआवजा राशि भजन पुत्र कालू प्राप्त करेगा तथा अवाप्ति से शेष रहा रकबा 0.2286 है0 प्रतिवादी संख्या भजन पुत्र कालू की खातेदारी मे रहेगी तथा ख0न0 140 प्रतिवादी संख्या 5 रामकरण पुत्र बीरमा की खातेदारी मे रहेगी तथा ख0न0 143 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चतुर्भुज उर्फ चतरू व रामप्रसाद की खातेदारी मे रहेगी। जो रकबा एन0एच0 मे अवाप्त हो

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

गया है, उसके सम्बंध मे पक्षकार माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष नही मांग रहे है तथा मुआवजे के वितरण के संबंध मे सभी ने प्रधान सिविल न्यायालय मे रेफरेन्स कर दिया हैं। आवाप्ति से शेष रहा रकबा पक्षकार वादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के नाम लगाने को सहमत है तथा इस आशय का सभी ने राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है तथा राजीनामें मे आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है, इसमे कोई कानूनी बाधा नही है ।

आराजी ख0न0 140 रकबा 0.50 है0 वादी न0 5 रामकरण पुत्र बीरमा के नाम, ख0न0 143 रकबा 0.50 है0 वादी न0 1 व 2 चतुर्भुज उर्फ चतरू पुत्र गंगाधर, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर के नाम, ख0न0 144 रकबा 0.50 है0 मे से अवाप्ति मे से शेष रहा रकबा 0.2286 है0 वादी न0 4 भजन पुत्र कालू के नाम वाके ग्राम नजीरपुरा मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तो कोई आपत्ति नही हैं, प्रकार पक्षकारान समहत है। वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति होने से स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु पंजीयन शुल्क की हानि नही होनी चाहिए। **ख0न0 146 रकबा 0.50 है0 का सर्म्पूण रकबा, ख0न0 154 रकबा 0.50 है0 का सर्म्पूण रकबा एवं 144 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.2714 राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच –148 एन में अवाप्त हो चुका जिसका रेफरेंस प्ररकण तैयार कर सक्षम न्यायालय को भिजवा दिया गया है।**

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को सहमति से स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 140 रकबा 0.50 है0 वादी न0 5 रामकरण पुत्र बीरमा के नाम, ख0न0 143 रकबा 0.50 है0 वादी न0 1 व 2 चतुर्भुज उर्फ चतरू पुत्र गंगाधर, रामप्रसाद पुत्र गंगाधर के नाम, ख0न0 144 रकबा 0.50 है0 मे से अवाप्ति मे से शेष रहा रकबा 0.2286 है0 वादी न0 4 भजन पुत्र कालू के नाम वाके ग्राम नजीरपुरा तहसील उनियारा मे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। **तहसीलदार उनियारा वादीगण से भूमि हस्तांतरण का नियमानुसार पंजियन शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करें** तथा प्रतिवादी न0 1,3 व 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजी मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक